सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या- NCST-12036/2/2024-Cord **दिनांक: 22.10.2024**

सेवा में,

1. श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष
2. श्री निरुपम चाकमा, माननीय सदस्य
3. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य
4. श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य

विषय: दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 02:30 बजे आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की 154वीं बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/ महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय का संदर्भ देने और कहने का निर्देश हुआ है कि आयोग की 154वीं बैठक दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 02:30 बजे श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी की अध्यक्षता में एनसीएसटी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं अभिलेख (रिकॉर्ड) के लिए संलग्न है।

भवदीय,

(राकेश कुमार दुबे)
उप निदेशक

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि: एनसीएसटी की 154वीं बैठक का कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न है। मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट 04.11.2024 तक समन्वय अनुभाग को सूचित की जा सकती है।

1. निदेशक (प्रशासन, ESDW एवं SSW)
2. उप निदेशक (APCR एवं RMDC)
3. निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी, भुवनेश्वर एवं शिलांग)
4. अवर सचिव (प्रशासन)
5. NCST के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
6. अनुसंधान अधिकारी (ESDW एवं APCR)

प्रति सूचनार्थ-

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव, एनसीएसटी
2. माननीय सदस्य (श्री निरूपम चाकमा) के निजी सचिव, एनसीएसटी
3. माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के निजी सचिव, एनसीएसटी
4. माननीय सदस्य (श्री जाटोतु हुसैन) के निजी सचिव, एनसीएसटी
5. सचिव, एनसीएसटी की प्रधान स्टाफ अधिकारी
6. निदेशक/उप निदेशक/अनुसंधान अधिकारी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल / भुवनेश्वर/ जयपुर/ रायपुर/ रांची और शिलांग के कार्यालय प्रभारी

फाइल संख्या- NCST-12036/2/2024-Cord

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 02:30 बजे आयोजित आयोग की 154वीं बैठक का कार्यवृत्त)

***

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 154वीं बैठक दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 02:30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों और अधिकारियों की सूची अनुलग्नक I में संलग्न है।

निम्नलिखित एजेंडा मदों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

154.01	**Confirmation/Action Taken Report on the Minutes of 153rd Meeting held on 24.06.2024 at 11:00 A.M.** **दिनांक 24.06.2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित 153वीं बैठक के कार्यवृत्त पर पुष्टि/कार्रवाई रिपोर्ट।**

निर्णय - आयोग के 153 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण तथा की गई कार्रवाई की सूचना से आयोग अवगत हुआ ।

Agenda Item No.	**Subject**	**Concerned Wing/ Unit**	**Action Taken**
153.02	**Proposal for inclusion of -** i. **"*Amnait, Amneet* and *Amnit*" as sub-entry under "*Bhattra*" notified at Sl. No. 06 in the STs list of Chhattisgarh.** ii. ***Sonjharia* (सोनझरिया), *Sonjhara* (सोनझरा), and *Sonjhari* (सोनझरी) Castes along with *Sonjhari* (सोन्झारी), sub-group of Gond, notified at serial number 16 in the list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh.** iii. **"*Sarania Kachari*" as an independent entry in the list of STs in the State of Assam excluding the autonomous districts.** iv. **"Rautia" community in the Scheduled Tribes list of Chhattisgarh**	(i) to (iv) ESDW Section	i. A letter was sent to the Secretary, MoTA on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0INC(CG)/1/2024-ESDW, informing that a team headed by Hon'ble Member (AL) will visit the area inhabited by this Community in Chhattisgarh State for ground assessment and submit report. ii. A letter was sent to the Secretary, MoTA, on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0INC(CG)/2/2024-ESDW, informing that a team headed by Hon'ble Member (AL) will visit the area inhabited by this Community in Chhattisgarh State for ground assessment and submit report. iii. A letter was sent to the Secretary, MoTA, on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0INC(AS)/1/2024-ESDW, informing that a team headed by Hon'ble Member (NC) will visit the area inhabited by this Community in Assam for ground assessment and submit report. iv. A letter was sent to the Secretary, MoTA, on 02.09.2024 vide letter no. NCST-02/0INC(CG)/3/2024-ESDW, informing that a team headed by Hon'ble Member (AL) will visit the

			area inhabited by this Community in Chhattisgarh State for ground assessment and submit report.
153.03	**Comment sought on the following draft Memorandums for the Expenditure Finance Committees (EFCs) for the -** i. **National Fellowship & Scholarship Scheme and National Overseas Scholarship Scheme (Central Sector Schemes)** ii. **Scheme of "Pre-Matric Scholarship for ST students" and "Post-Matric Scholarship for ST students"** iii. **Scheme of "Eklavya Model Residential Schools 3.0"** iv. **Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan-2 (PM- Unnat Gram Abhiyan)/Working Title.**	(i) to (iv) ESDW Section	i. A letter was sent to the Secretary, MoTA, on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0POL(DL)/4/2024-ESDW, informing that the Commission has supported the proposal with certain observations. ii. A letter was sent to the Secretary, MoTA on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0POL(DL)/1/2024-ESDW DL)/4/2024-ESDW, informing that the Commission has supported the proposal with certain observations. iii. A letter was sent to the Secretary, MoTA on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0POL(DL)/2/2024-ESDW, DL)/4/2024-ESDW, informing that the Commission has supported the proposal with certain observations. iv. A letter was sent to the Secretary, MoTA on 08.08.2024 vide letter no. NCST-02/0POL(DL)/3/2024-ESDW, DL)/4/2024-ESDW, informing that the Commission has supported the proposal with certain observations.
153.04	**Proposal for Revision and amendment of Rules of Procedure of NCST -2021**	Coordination Section	Under consideration of Hon'ble Chairperson, NCST.
153.05	**Proposed recommendation for enhancement of corpus fund of National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC).**	RMDC Section	The recommendations of the Commission have been conveyed to Secretary, MoTA vide letter no. NCST-04/0Mon(DL)/1/2024-RMDC dated 23.07.2024
153.06	**Finalisation of 100 Days Action plan of NCST w.e.f. 1st July 2024**	Coordination/ SSW/ Admin. Section	As per the 100 Days Action plan received from O/o Hon'ble Chairperson and concerned Members, the details are enclosed.
153.07	**Proposal to fix the days of hearing by the Hon'ble Members, NCST. The following days are proposed-** a. **Hon'ble Member (NC)- Tuesday** b. **Hon'ble Member (JH)- Wednesday**	Coordination/ SSW/ Admin. Section	The days of hearing by the Hon'ble Members have been modified and are as under- a. Hon'ble Member (JH)- Monday and Tuesday b. Hon'ble Member (NC)- Wednesday c. Hon'ble Member (AL)- Thursday and

	c. **Hon'ble Member (AL)- Thursday and Friday**		Friday
153.08	**Comments of the NCST on High Level Committee (XaXa Committee) report**	Coordination Section	A NCST letter no. NCST-12035/3/2024-Cord, dated 09th August 2024, has been sent to Shri S. F. Bachagundi, Joint Director, NCST Section, MoTA, informing about the position of NCST on the matter.
153.09	**Miscellaneous:** **1. Hiring of vehicles for the use of Hon'ble Chairperson and Members of NCST.** **2. Points/ issues highlighted in the Statutory Full Commission (NHRC) meeting for consideration to the NCST.** **3. Direction of Rajasthan High Court bench at Jaipur in S.B. Criminal appeal No. 943/2024 (Abhishek & Anr. V/s State of Rajasthan)**	1. Admin. Section 2. Coordination Section 3. APCR Section	1. F. No. 24/3/NCST/2020-Admn. P.t. I- Hiring of vehicles for Hon'ble Chairperson & Hon'ble Members is under submission. 2. The Commission agreed to the proposal for enhancing cooperation among the Constitutional & Statutory Commissions in so far as issues of STs are concerned. 3. Letter issued to Chief Secretary, Govt of Rajasthan on 27.06.2024 vide NCST letter no. C-18018/1/2024-RO-Jaipur.
153.10	**Any other matters with the permission of the Chair.** **1. Providing Part-time Legal Consultants to Hon'ble Members** **2. Providing adequate Security & Protocol during the visits of Hon'ble Chairperson, NCST and Hon'ble Members, NCST in the States.** **3. Opening of Camp Office or Regional Office of NCST in Hyderabad, Telangana.** **4. To resolve the Matter of Shri Khakhai Zou, Additional Director, Lok Sabha Secretariat (File No. KZ/1/2019/MPAF/SEOTH/RU-I) Ministry of Tribal Affairs recommended that a meeting be convened by Deptt. of Legal Affairs with NCST and Lok Sabha Secretariat.**	1 to 3 - Admin. Section, 4 & 5 - SSW Section, 6 & 7 - Coord. Section and 8- APCR Section	1. Three part time Legal Consultant has been engaged. 2. DO letter No. 11011/612024-Estt. dated 01.08.2024 issued to all the Chief Secretaries of States/ UTs by Secretary, NCST. 3. For opening a camp office in Hyderabad, the Telangana Govt. has been requested to arrange office space. In addition, BSNL, Hyderabad and SC Railways have also been requested to allot desired/ office space. 4. A Meeting is scheduled for 27.09.2024 in this regard. 5. Under process

	5. Review of the ATR on the Recommendation of the Commission on Dated 03rd August, 2021 regarding setting up of Internal Grievance Committee for STs. **6. List of nominated Liaison Officers for STs by Ministries/ Departments/ PSUs/Universities and Annual Statements for the last Three Years submitted to DoPT.** **7. Interaction Programme of the Commission with Liaison Officers for STs.** **8. Implementation of the Provisions of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act 1989, under following Sections thereof:** • Section 8- Setting up of the SC and ST Protection cell. Section • Section 9- Nomination of Nodal Officer. • Section 10- Appointment of a Special Officer. • Section 16- Constitution of State-level vigilance and monitoring committee. • Section 17- Constitution of District- level vigilance and monitoring committee. • Section 17 A- Constitution of Sub Division- level vigilance and monitoring committee. • Section 18- Annual Reports of State Governments regarding implementation of the Act.		6. Letters have been sent to the Secretary, DoPT, Chairman, UGC, CMD /MD of 34 PSUs, and Secretaries of 73 Ministries/ Departments. 7. With reference to Point 6, the reply from the Central Ministries/ Departments/ PSUs and Central Universities are expected, upon receiving the list of liaison officers name, a further course of action will be decided. 8. A D.O. letter is issued to all Chief Secretaries of States/ UTs bearing File No.: NCST-12027/2/2024-Cord, dated 27th August 2024.

154.02	**Details of 100 Days Action Plan of NCST** **100 दिवसीय कार्यों का विवरण।**
	निर्णय - आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण द्वारा दिए गए 100 दिवसीय कार्यों के विवरण पर चर्चा की गई और इसे एकरूपता के साथ अद्यतन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण द्वारा माह अक्टूबर से दिसंबर 2024 हेतु कार्य योजना बनाकर माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाए। इसके लिए समन्वय अनुभाग द्वारा प्रारूप तैयार कर परिचालित किया जाए। **(अनुपालन : समन्वय प्रकोष्ठ)**

154.03	**Suggestions on District Review/ State Review Questionnaire of the NCST** **जिला समीक्षा / राज्य समीक्षा (प्रश्नावली) के संबंध में सुझाव ।**
	निर्णय - आयोग की जिला एवं राज्य स्तरीय बैठक हेतु प्रश्नावली (पांचवी एवं छठी अनुसूची के राज्यों सहित) में सुधार कर अद्यतन सरकारी योजनाओं को शामिल करने और उसे अधिक प्रासंगिक बनाने का निर्णय लिया गया जिससे अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मुद्दों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कल्याण, वित्तीय समावेशन, वन अधिकार आदि विषयों पर गहन जानकारी आयोग को प्राप्त हो सके। **(अनुपालन : समन्वय प्रकोष्ठ)**

154.04	**Report by Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member on demographic change in the state of Jharkhand** **झारखंड में जनसांखिकी परिवर्तन पर डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य की संक्षिप्त रिपोर्ट ।**
	निर्णय - माननीय सदस्य ;डॉ आशा लकड़ा ने झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की आबादी के जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के विषय को भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त तथा गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाए ताकि इस विषय पर आंकड़े प्राप्त हो सकें। अनुसूचित जनजाति की भूमि के विभिन्न तरीकों जैसे. अनुसूचित जनजाति की युवतियों से विवाह, दान.पत्र, गैर कानूनी खरीद फरोख्त आदि से अवैध हस्तांतरण के विषय पर आयोग विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक कार्य दल गठित करेगा, जो इस विषय का गहन परीक्षण करके अपने रिपोर्ट एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगा। **(अनुपालन : समन्वय प्रकोष्ठ)**

154.05	**Creation of two posts of Deputy Director (Pay level 11) and one post of Assistant Director (Pay level 10) by surrender of one post of Assistant Director (Programme) (Pay Level 10), one post of Law Officer (Pay Level 6), One post of Librarian-cum-Documentation Assistant (Pay Level 6), One post of Accountant (Pay level 5) and One post of Dispatch Rider (pay level 2).** **सहायक निदेशक (कार्यक्रम) (वेतन स्तर 10) के एक पद, विधि अधिकारी (वेतन स्तर 6) के एक पद, लाइब्रेरियन-कम-डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट का एक पद (वेतन स्तर 6), अकाउंटेंट का एक पद (वेतन स्तर 5) और डिस्पैच राइडर का एक पद (वेतन स्तर 2) के एक पद को सरेंडर करके, उप निदेशक (वेतन स्तर 11) के दो पद और सहायक निदेशक (वेतन स्तर 10) के एक पद का सृजन ।**
	निर्णय - विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और यह सुझाव दिया गया कि जिन पदों को सरेंडर किया जाना प्रस्तावित किया गया है उनकी आवश्यकता के बारे में स्थापना अनुभाग पुनः विचार करे और यह भी सूचित करे कि विगत 20 वर्षों से इन पदों का कार्य कैसे चलाया जा रहा है। तदुपरांत, इस विषय को आयोग की भविष्य में होने वाली बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाए। **(अनुपालन : स्थापना प्रकोष्ठ)**

154.06	**Creation of 8 posts of CSS cadre i.e. one Under Secretary, 4 Section Officers and 3 ASOs, on the pattern of sanctioned strength of NCSC, for strengthening the functioning of NCST headquarters.** **एनसीएसटी मुख्यालय के कामकाज को मजबूत करने के लिए एनसीएससी की स्वीकृत शक्ति के पैटर्न पर CSS कैडर के 8 पदों यानी एक अवर सचिव, 4 अनुभाग अधिकारी और 3 एएसओ का सृजन।**
	निर्णय - आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और इस विषय पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया। **(अनुपालन : स्थापना प्रकोष्ठ)**

154.07	**Miscellaneous Agenda Points-** **विविध एजेंडा बिंदु-**
	a. Complaint received from a group of organizations against National Tiger Conservation Authority (NTCA) order dated June 19, 2024 proposing relocation of 64,801 families from 591 villages. **a. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के 19 जून, 2024 के आदेश के खिलाफ संगठनों के एक समूह से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 591 गांवों से 64,801 परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव है।** **निर्णय** - यह निर्णय लिया गया कि आयोग को वर्तमान में प्राप्त शिकायत (दिनांक 27.04.2024) पर संबंधित मंत्रालय / विभाग को नोटिस भेज कर रिपोर्ट मंगाई जाए । यह भी निर्णय लिया गया कि इस विषय पर आयोग ने पूर्व में पत्र संख्या PC/1/2017/MENV1/SEOTH/RU-IV दिनांक 30.10.2018 द्वारा संबंधित विभागों को जो संस्तुतियाँ की थीं, उन पर कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्मरण पत्र भेजा जाए। **(अनुपालन : ESDW प्रकोष्ठ)** **b. Proper Sitting arrangement for Media / Social Media team.** **b.मीडिया/सोशल मीडिया टीम के लिए उचित बैठने की व्यवस्था।**

	निर्णय - विषय पर आयोग को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया टीम के बैठने के लिए लोकनायक भवन के छठवीं तल पर स्थित आयोग के कक्ष क्रमांक 614 का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तब तक बैठने के लिए एक कक्ष में अस्थाई व्यवस्था की गई है। **(अनुपालन : प्रशासन प्रकोष्ठ)** **c. Review of Staff requirement of NCST.** **c. एनसीएसटी की स्टाफ आवश्यकता की समीक्षा।** **निर्णय** - इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई और आयोग ने सूचना का अवलोकन किया । आयोग में विभिन्न स्तर के स्वीकृत 124 पदों की आवश्यकता एवं अन्य आयोगों में स्वीकृत पदों के बराबर करने /बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया । **(अनुपालन : स्थापना प्रकोष्ठ)**

154.08	**Any other matters with the permission of the Chair.** **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला ।**
	1. **आयोग में लंबित पुराने प्रकरणों का त्वरित निपटान ।** **निर्णय** - यह निर्णय लिया गया कि सभी लंबित प्रकरणों का संबंधित माननीय सदस्य द्वारा पुनरावलोकन किया जाए और उनका निपटान शीघ्र किया जाए। **(अनुपालन : APCR/ SSW/ ESDW प्रकोष्ठ)** 2. **आयोग के त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन ।** **निर्णय** - यह निर्णय लिया गया कि आयोग के त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन पुनः प्रारंभ किया जाए और इस कार्य के लिए एक टीम गठित की जाए। **(अनुपालन : RMDC प्रकोष्ठ)** 3. **आयोग में की जाने वाली सुनवाईयों और बैठकों के कार्यवृत्त की अनुमोदन प्रक्रिया ।** **निर्णय** - आयोग में होने वाली सुनवाइयों और बैठकों के कार्यवृत्त को संबंधित माननीय सदस्य के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। **(अनुपालन : माननीय सदस्य का कार्यालय)** 4. **विधिक सलाहकार के मानदेय में एकरूपता ।** **निर्णय** - यह निर्णय लिया गया कि आयोग में कार्यरत विधिक सलाहकार, श्री राहुल यादव को दिया जाने वाला मानदेय रुपए ₹1 लाख प्रति माह किया जाए, जो की अन्य विधिक सलाहकारों के समकक्ष

होगा।

(अनुपालन : स्थापना प्रकोष्ठ)

5. **आयोग में इंटर्नशिप कार्यक्रम को पुन: शुरू करना।**

निर्णय - बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि आयोग में इंटर्नशिप गाइडलाइन का पालन करते हुए इंटर्नशिप कार्यक्रम पुन प्रारंभ किया जाए।

(अनुपालन : समन्वय प्रकोष्ठ)

6. **सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप कार्यक्रम की प्रगति ।**

निर्णय - यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर बजट आवंटन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनः अनुरोध किया जाए।

(अनुपालन : प्रशासन प्रकोष्ठ)

7. **आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण के कार्यालय उपयोग हेतु समुचित वाहन व्यवस्था ।**

निर्णय - बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य गण के उपयोग हेतु एक-एक इनोवा क्रिस्टा वाहन नियम एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए किराए पर लिया जाए।

(अनुपालन :प्रशासन प्रकोष्ठ)

8. **आयोग का कार्य विधि के नियम (रूल्स ऑफ प्रोसीजर)।**

निर्णय - बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधनों सहित कार्य विधि के नियम (रूल्स ऑफ प्रोसीजर) का प्रारूप 2 सप्ताह में माननीय सदस्य गण को प्रस्तुत किया जाए ।

(अनुपालन : समन्वय प्रकोष्ट/ विशेष प्रतिवेदक)

9. विषयः आयोग में मीडिया एवं प्रचार अनुभाग का गठन ।

आयोग की गतिविधियों के व्यापक प्रचार - प्रसार हेतु आयोग में पांचवें तल पर एक मीडिया एवं प्रचार अनुभाग गठित करने और उसके लिए बैठने की व्यवस्थता, कम्प्यूटर, कलर प्रिंटर, मानव संसाधन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुलग्नक-I

- एनसीएसटी के सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति

क्र0 संख्या	नाम और पदनाम
1.	श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी
2.	श्री निरुपम चाकमा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी
3.	श्रीमती आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी
4.	श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य, एनसीएसटी
5.	श्रीमती अलका तिवारी, सचिव
6.	श्री सूरत सिंह, निदेशक (प्रशासन)
7.	श्री राकेश कुमार दुबे, उप निदेशक (समन्वय)